



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 01 / 2020

दायर तारीख :- 06-01-2020

1. हैप्पी गुर्जर पुत्र स्व० साधूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी तेवड़ी ढाणी अवाना की तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— अप्रार्थी

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम बाबत नाम दुरुस्ती

उपस्थित : श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता प्रार्थी

पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक:- 20.08.2020

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकैँ ग्राम तेवड़ी के खाता संख्या 340 के खसरा नम्बर 1279/0.11 हैक्टेयर हिस्सा सम्पूर्ण तथा खाता संख्या 374 के आराजी खसरा नंबर 1342/0.03, 1343/0.03 हैक्टेयर हिस्सा 1/6 तथा खाता संख्या 336 के हाल आराजी खसरा नंबर 1344/0.24, 1345/0.30, 1346/0.27 हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 52 के खसरा नंबर 1619/0.12, 1620/0.10, 1621/0.20, 1622/0.07 हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 183 के खसरा नंबर 1623/0.06, 1624/0.09, 1625/0.08, 1626/0.04 हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 337 के खसरा नंबर 1627/0.02 हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 210 के खसरा नंबर 1685/0.15, 1686/0.12, 1687/0.13 हिस्सा 1/3 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के पिता साधूराम पुत्र भूरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076-2079 है। इसी प्रकार वाकेँ ग्राम ज्ञानपुरा के खाता संख्या 96 के खसरा नंबर 1400/1/0.57 हिस्सा सम्पूर्ण तथा खाता संख्या 95 के खसरा नंबर 1412/0.20, 1413/1.36, 1607/0.21, 1608/0.20



हिससा 1/4 तथा खाता संख्या 68 के खसरा नंबर 1738/0.13 हैक्टेयर  
 हिससा 1/4 तथा खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 1742/0.65 हैक्टेयर  
 हिससा 1/4 की खातेदारी भी प्रार्थी के पिता साधुराम पुत्र भूरा के नाम दर्ज  
 रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076-2079 थी। यह है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु के  
 बाद वाके ग्राम तेवडी के खसरा नंबरों का विरासत का नामान्तकरण संख्या  
 889 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा प्रार्थी व उसकी माता व भाई-बहनो के नाम  
 खोला गया तथा एवं इसी प्रकार वाके ग्राम ज्ञानपुरा के खसरा नंबरों का  
 विरासत का नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 03.08.2019 खोला गया, जिसमें  
 प्रार्थी का नाम हैप्पी गुर्जर पुत्र साधूराम के बजाय कानाराम पुत्र साधूराम  
 अंकित कर दिया जो कि गलत है, जो कि काबिले दुरुस्ती है। अधिवक्ता प्रार्थी  
 का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से  
 कानाराम पुत्र साधूराम दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी के समस्त  
 सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन  
 कार्ड, आदि में वास्तविक नाम हैप्पी गुर्जर पुत्र साधूराम गुर्जर है। अतः प्रार्थी  
 का नाम काबिल दुरुस्ती है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम तेवडी के खाता  
 संख्या 340 के खसरा नम्बर 1279/0.11 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 374 के  
 आराजी खसरा नंबर 1342/0.03, 1343/0.03 हैक्टेयर, खाता संख्या 336 के  
 हाल आराजी खसरा नंबर 1344/0.24, 1345/0.30, 1346/0.27 हैक्टेयर,  
 खाता संख्या 52 के खसरा नंबर 1619/0.12, 1620/0.10, 1621/0.20,  
 1622/0.07 हैक्टेयर, खाता संख्या 183 के खसरा नंबर 1623/0.06,  
 1624/0.09, 1625/0.08, 1626/0.04 हैक्टेयर, खाता संख्या 337 के खसरा  
 नंबर 1627/0.02 हैक्टेयर, खाता संख्या 210 के खसरा नंबर 1685/0.15,  
 1686/0.12, 1687/0.13 हैक्टेयर की खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 889  
 दिनांक 13.08.2019 में एवं वाके ग्राम ज्ञानपुरा के खाता संख्या 96 के खसरा  
 नंबर 1400/1/0.57 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 के खसरा नंबर 1412/0.20,  
 1413/1.36, 1607/0.21, 1608/0.20 हैक्टेयर, खाता संख्या 68 के खसरा  
 नंबर 1738/0.13 हैक्टेयर, खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 1742/0.65  
 हैक्टेयर खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 337 दिनांक 03.08.2019 में अंकित



का नाम कानाराम पुत्र साधूराम के बजाय हैप्पी गुर्जर पुत्र साधूराम गुर्जर तसलत किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तेवड़ी के हाल खाता संख्या 340, 374, 336, 52, 183, 337, 210 संवत् 2076-2079 किता-7, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम ज्ञानपुरा के हाल खाता संख्या 96, 95, 68, 21 संवत् 2076-2079 किता-4, फोटो प्रति माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका वर्ष-2017, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 9963-6694-2578, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007921200597, फोटोप्रति शपथ पत्र दिनांक 30.09.2019, ग्राम पंचायत तेवड़ी का सरपंच एवं उपसरपंच द्वारा जारी लैटर पैड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र एवं साधूराम पुत्र भूराराम गुर्जर मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि पेश किये गये।

4. वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम तेवड़ी के खाता संख्या 340 के खसरा नम्बर 1279/0.11 हैक्टेयर हिस्सा सम्पूर्ण तथा खाता संख्या 374 के आराजी खसरा नंबर 1342/0.03, 1343/0.03 हैक्टेयर हिस्सा 1/6 तथा खाता संख्या 336 के हाल आराजी खसरा नंबर 1344/0.24, 1345/0.30, 1346/0.27 हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 52 के खसरा नंबर 1619/0.12, 1620/0.10, 1621/0.20, 1622/0.07 हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 183 के खसरा नंबर 1623/0.06, 1624/0.09, 1625/0.08, 1626/0.04 हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 337 के खसरा नंबर 1627/0.02 हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 210 के खसरा नंबर 1685/0.15, 1686/0.12, 1687/0.13 हिस्सा 1/3 हैक्टेयर की खातेदारी एवं वाके ग्राम ज्ञानपुरा के खाता संख्या 96 के खसरा नंबर 1400/1/0.57 हिस्सा सम्पूर्ण तथा खाता संख्या 95 के खसरा नंबर 1412/0.20, 1413/1.36, 1607/0.21, 1608/0.20 हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 68 के खसरा नंबर 1738/0.



13 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 1742/0.65 हैक्टेयर हिस्सा 1/4 की खातेदारी भी प्रार्थी के पिता साधुराम पुत्र भूरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076-2079 है। यह है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद वाके ग्राम तेवड़ी के खसरा नंबरों का विरासत का नामान्तरण संख्या 889 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा प्रार्थी व उसकी माता व भाई-बहनों के नाम खोला गया तथा एवं इसी प्रकार वाके ग्राम ज्ञानपुरा के खसरा नंबरों का विरासत का नामान्तरण संख्या 337 दिनांक 03.08.2019 खोला गया, जिसमें प्रार्थी का नाम हैप्पी गुर्जर पुत्र साधूराम के बजाय कानाराम पुत्र साधूराम अंकित कर दिया जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, फोटो प्रति माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका वर्ष-2017, फोटोप्रति भारत सरकार आधार कार्ड 9963-6694-2578, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007921200597, भारत निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र आदि में वास्तविक नाम हैप्पी गुर्जर पुत्र साधूराम गुर्जर है। यह भी कि गांव, कुटुम्ब, परिवार में भी प्रार्थी को कानाराम पुत्र साधूराम के नाम जाना पहचाना जाता है यह है कि पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी का नाम कानाराम पुत्र साधूराम के बजाय हैप्पी गुर्जर पुत्र साधूराम गुर्जर कि शुद्धि किये जाना का कथन किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम काबिल दुरुस्ती है। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संशोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

### आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं वाके ग्राम तेवड़ी के खाता संख्या 340 के खसरा नम्बर 1279/0.11 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 374 के आराजी खसरा नंबर 1342/0.03, 1343/0.03 हैक्टेयर, खाता संख्या 336 के हाल आराजी खसरा नंबर 1344/0.24, 1345/0.30, 1346/0.27 हैक्टेयर, खाता संख्या 52 के खसरा नंबर 1619/0.12, 1620/0.10, 1621/0.20, 1622/0.07 हैक्टेयर, खाता संख्या 183 के खसरा नंबर 1623/0.06,



1624/0.09, 1625/0.08, 1626/0.04 हैक्टेयर, खाता संख्या 337 के खसरा नंबर 1687/0.02 हैक्टेयर, खाता संख्या 210 के खसरा नंबर 1685/0.15, 1686/0.12, 1687/0.13 हैक्टेयर एवं वाके ग्राम ज्ञानपुरा के खाता संख्या 96 के खसरा नंबर 1400/1/0.57 हैक्टेयर, खाता संख्या 95 के खसरा नंबर 1412/0.20, 1413/1.36, 1607/0.21, 1608/0.20 हैक्टेयर, खाता संख्या 68 के खसरा नंबर 1738/0.13 हैक्टेयर, खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 1742/0.65 हैक्टेयर में प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम कानाराम पुत्र साधूराम के बजाय हैप्पी गुर्जर पुत्र साधूराम दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 20.08.2020 सुनाया गया।

( राजवीर सिंह यादव, R.A.S )  
उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर